संख्या-66/2015/1190/26-3-2015-375/2014

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
जनजाति विकास
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः24 जून, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के अधूरे भवनों/अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-35/ज0जा0वि0/2015-16, दिनांक-28-04-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अधूरे भवनों/अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण हेतु धनराशि रूपया-90.00 लाख (रूपये नब्बे लाख मात्र) की धनराशि निर्गत कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः- (रूपया-नब्बे लाख मात्र)

क्र0सं	विद्यालय का नाम	प्रस्तावित लागत	प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय,बेलापरसुआ, लखीमपुरखीरी	45.15	45.00	45.00
2	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बालापुर, बलरामपुर	45.15	45.00	45.00
	योग	90.30	90.00	90.00

(1) प्रशनगत कार्य हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माण इकाई के साथ एम.ओ.यू. अनुबंध कराने के उपरान्त ही आहरित कर कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनियमितता माना जायेगा जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, जनजाति विकास उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(3) उक्त निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्कता के अनुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर के डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी ।

(5) उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) उक्त प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व समस्त वैधानिक एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त कर ली जायेगी।

(7) प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। निर्माण कार्य की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(8) प्रायोजनान्तगत प्रस्तावित बांट आउट आइटम्स के कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान सं0-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-04-अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के अधूरे भवनों का(100 प्रतिशत राज्यांश)-24-वृहत निर्माण कार्य)" के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-66/2015/1190 (1)/26-3-2015 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2- जिलाधिकरी, लखीमपुरखीरी/बलरामपुर।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)

7- गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।